न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

बी.पी. 1282/2026

छपरा मुफस्सिल थाना कांड संख्या–424/2026

अंतर्गत धारा 331(4), 137(2),96 बी.एन.एस.

राम करण.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी

अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

सारण, छपरा।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता–श्री दुर्गेश प्रकाश

विपक्षी की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री ध्रुवदेव सिंह

20.07.2026 काराधीन अभियुक्त राम करण की ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन में उभयपक्षों को सूना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक का आरोप है कि दिनांक 17.06.2026 को उसके घर में घुसकर किसी अन्जान व्यक्ति द्वारा उसकी लड़की रम्भा को लेकर पैदल भाग रहा था जिसे वह अपने परिवार के लोगों के साथ पीछा कर अन्जान व्यक्ति एवं लड़की को लाल बाजार के पास पकड़ लिया। अन्जान व्यक्ति का नाम पूछने पर राम करण बताया।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सूचक ने पीड़िता की उम्र का वर्णन प्राथमिकी में नहीं किया है। पीड़िता अपनी मर्जी से आवेदक के साथ जा रही थी। अभियुक्त दिनांक 19.06.2026 से कारा अभिरक्षा में है। अभियुक्त उचित जमानतदार देने को तैयार है। अंत में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत दिये जाने की प्रार्थना की गई है।

अभियोजन की ओर से विरोध किया गया और कथन किया गया कि नाबालिग लड़कियों को भगा करके उसके साथ यौन दुर्व्यवहार का अपराध करने का मामला बढ़ता जा रहा है। मामला जमानत योग्य नहीं है।

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय

ारण, छपरा।

बी.पी. 1282/2026

छपरा मुफस्सिल थाना कांड संख्या–424/2026

अंतर्गत धारा 331(4), 137(2),96 बी.एन.एस.

राम करण.....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी

उपस्थित–अनुराग कुमार त्रिपाठी
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।

उभयपक्ष को सुना एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक के विरुद्ध नाबालिग लड़की को विधिपूर्वक के सहमति के बिना ले जाते हुए पकड़े जाने का गंभीर आरोप है। कांड दैनिकी के कंडिका 18 में वर्णित पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के कथन का भी अवलोकन किया गया। आवेदक दूसरे राज्य से आकर पीड़िता को शादी के लिए लेकर भागते हुए पकड़ा गया है। मामला अनुसंधान में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामला जमानत नहीं योग्य पाया जाता है। उपरोक्त आवेदक का जमानत आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित

(अनुराग कुमार त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
सारण, छपरा।